

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 7 वि०शा०/विविध-12-44/2019 ज०सं०- 64/19-2019/राँची, दिनांक 01-11-19

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०-हिन्, राँची।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- e-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु
रु० 21.84 लाख (रुपये एककीस लाख चौरासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति
के सम्बन्ध में।

आदेश-स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग में e-Governance के अन्तर्गत 13 अदद डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के लिये प्रत्येक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को रु० 28,000/- प्रति माह के दर से छः माह (दिनांक 01.10.2019 से 31.03.2020 तक) की अवधि के लिये पारिश्रमिक भुगतान हेतु कुल रु० 21.84 लाख (रुपये एककीस लाख चौरासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. e-Governance के अन्तर्गत 13 अदद डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की विवरण निम्नवत् है :-

क्र०	नाम	जिस कार्यालय में कार्यरत रहेंगे।
1	श्रीमती बबीता कुमारी	विभागीय एम०आई०एस० सेल, योजना एवं मोनितरिंग अंचल-1, राँची।
2	श्री प्रमोद मांझी	संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, राँची।
3	श्री उमेश कुमार	माननीय मंत्री कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची।
4	श्रीमती तनुश्री कुमारी	मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग।
5	श्रीमती सिंह अनिता	विभागीय e-Procurement Cum e-Tendering cell एवं योजना एवं मोनितरिंग अंचल-2, ज०सं०वि०, राँची।
6	श्रीमती राखी खवास	अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनितरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची।
7	श्रीमती सुषमा मिंज	विभागीय निगरानी प्रशाखा-8, जल संसाधन विभाग, राँची।
8	श्रीमती दिव्या बाला सिंह	HRMS Cell, WRD
9	श्री रविताभ कुमार	योजना एवं मोनितरिंग अंचल-1 (योजना एवं मोनितरिंग प्रमंडल-1) राँची।
10	श्री देव कुमार ठाकुर	संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, राँची।
11	श्री समीर कुमार	विभागीय एम०आई०एस० सेल, योजना एवं मोनितरिंग अंचल-1, राँची।
12	श्रीमती लता रानी	मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची।
13	सुश्री दीक्षा कुमारी	योजना, मोनितरिंग एवं आयोजन अंचल-3, राँची।

- विभागीय पत्रांक-3423 दिनांक 23.10.2019 द्वारा e-Governance के अन्तर्गत 13 अदद डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को कार्य पर रखे जाने संबंधित आदेश संसूचित है।
- इस कार्य पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य, लघु शीर्ष 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष - 70 - ई-गवर्नेन्स विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59- अन्य व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
7. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।
8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
9. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
10. राज्यादेश के प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिन्, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 7 वि०शा०/विविध-12-44/2019 ज०सं०- 64/19-20 प्र०क्ष०/राँची, दिनांक 01-11-19

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/अपर मुख्य सचिव, योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 7 वि०शा०/विविध-12-44/2019 ज०सं०- 64/19-20 प्र०क्ष०/राँची, दिनांक 01-11-19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 7 वि०शा०/विविध-12-44/2019 ज०सं०- 64/19-20 प्र०क्ष०/राँची, दिनांक 01-11-19

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 7 वि०शा०/विविध-12-44/2019 ज०सं०- 64/19-20 प्र०क्ष०/राँची, दिनांक 01-11-19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (मो०), राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु /कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 7 वि०शा०/विविध-12-44/2019 ज०सं०- 64/19-20 प्र०क्ष०/राँची, दिनांक 01-11-19

प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव